

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 4 (3) चिस्वा/2/2006


जयपुर, दिनांक: - 7/8/18

—आदेश—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 वीबी के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 21.07.2007 में डॉ. शिखर चन्द जैन, क. वि. (मेडिसन) जन्म तिथि 01.02.1951 के विरुद्ध पुलिस थाना उनियारा, जिला टोंक द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 112/95 में कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(2)(81)का/क-3/शि/99 दिनांक 21.03.2018 के कारण इनका पदोन्नति का परिणाम बन्द लिफाफे में रखने की अभिशंषा की गई।

डॉ. शिखर चन्द जैन का बन्द लिफाफा खोला जाकर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषानुसार वेतनमान 15600-39100 में ग्रेड पे-7600/- पर वर्ष 2007-08 के रिक्त पद से पदोन्नत किया जाता है।


आज्ञा से


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निदेशक, जन. स्वा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

8. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।


(ओ.पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव